

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ								
3-11-20	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल विविध वाद संख्या 118/2019-2020 (भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि) आदेश</p> <p>दाता श्री राम औतार सिंह, पिता-सोवरन सिंह, ग्राम-नगवों, थाना-किंजर, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="261 734 1342 927"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>913</td> <td>-</td> <td>01 धूर</td> <td>उत्तर-वंशलाल सिंह दक्षिण-नीज पूरब-जगदेव सिंह पश्चिम-नीज</td> </tr> </tbody> </table> <p>मौजा-नगवों, थाना नं०-50, थाना-किंजर, अंचल-करपी, जिला-अरवल भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2020 को समर्पित किया गया। भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं गवाह में शिवलखन सिंह एवं हरक सिंह का हस्ताक्षर है। वर्णित भूमि दिनांक 29.03.1954 में दान पत्र के माध्यम से दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, करपी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतियान उपलब्ध नहीं है। ग्राम नगवों में उच्चतम खाता संख्या-385 है जबकि दान पत्र में खाता संख्या-913 है। भूमि का किस्म धनहर है जो रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैंसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेख है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा एवं रकबा अंकित है लेकिन खेसरा संख्या अंकित नहीं है वैसे मामलों में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी क्योंकि सम्पुष्टि के पश्चात् जमीन को चिन्हीत करना संभव है। अतः अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि ग्राम-नगवों में उच्चतम खाता संख्या-385 है जबकि दान पत्र में खाता संख्या-913 है। ऐसा प्रतीक होता है कि उक्त मौजा में मात्र उच्चतम खाता संख्या-385 ही है। अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">3-11-20</p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल।</p> <p style="text-align: right;">3-11-20</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।</p>	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी	913	-	01 धूर	उत्तर-वंशलाल सिंह दक्षिण-नीज पूरब-जगदेव सिंह पश्चिम-नीज	
खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी							
913	-	01 धूर	उत्तर-वंशलाल सिंह दक्षिण-नीज पूरब-जगदेव सिंह पश्चिम-नीज							